32

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 23/2022 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर,स0मा0
पुत्र श्री शेर सिंह यादव,नि. 34 अल्कापुरी–ए मुरलीपुरा जयपुर 302039 तहसीलदार खण्डार,

GCMS No-2022/23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
16.2.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/तहसीलदार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 14.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पत्रांक एफ.2(206)सूकाअ/2021/1869–77 दिनांक 21.10.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधि0 भू.अभि./स्थापना/राजस्व/पंजीयन अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. यह है कि माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेंर के कार्यालय पत्रांक राम/भू.अ./ई–1/प.24/2021/12225 दिनांक 12.7.2021 की पालना में जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा नियुक्त जॉच अधिकारी उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय आदेश एवं जॉच अधिकारी द्वारा उक्त हेतराम मीना आईएलआर फरिया के विरूद्व प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट मय संलग्नक दस्तावेज की प्र0प्रति मय परिवाद की प्र0प्रति। 2. यह है कि माननीय जिला कलेक्टर (पंजीयक) सवाईमाधोपुर द्वारा तहसील एवं उप पंजीयक खण्डार को रजिस्ट्री मे तथ्य छिपाने के संबंध में जारी पत्रांक/पंजीयन / शिकायत/2020–21 /927 दिनांक 7.6.2021 की पालना में तहसीलदार खण्डार द्वारा कराई गयी जॉच रिपोर्ट या कार्यवाही की प्रमाणित प्रति। 3. यह है कि श्रीमति राजरानी यादव द्वारा जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रेषित परिवाद दिनांक 27.5.2021 बाबत अजीत सिंह पुत्र ओनाड सिंह शेखावत द्वारा कृषि भूमि के गैर कृषि उपभोग करने पर खातेदारी निरस्त करने एवं 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही पर नियुक्त जॉच अधिकारी आदेश तथा उक्त ई/ओ द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट मय संलग्नक दस्तावेज तथा उक्त परिवाद तथा परिवाद मे संलग्नक दस्तावेज की प्र0 प्रति। 4. यह है कि तहसीलदार खण्डार का कार्यालय पत्रांक एलआर/17/1238 दिनांक 24.3.3017 मय संलग्नक की प्र0प्रति तथा उक्त पत्रांक पर आईएलआर पाली द्वारा प्रस्तुत जॉच कार्यवाही की प्रमाणित प्रति। 5. यह है कि तहसीलदार खण्डार का कार्यालय पत्रांक भू.अ./12/472 दिनांक 12.10.2012 मय संलग्नक मौका रिपोर्ट दिनांक 20.9.2012 की प्रमाणित प्रति। 6. यह है कि जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक/राजस्व/विविध/12/5870 दिनांक 27.10.2016 की प्र0प्रति तथा इस संबंध मे तहसीलदार खण्डार से प्राप्त कार्यवाही रिपोर्ट मय संलग्नक की प्र0प्रति। 7. यह है कि जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक प.1(8)(10)शिकायत/स्था./2020/4904 दिनांक 15.9.2020 की प्र0प्रति। 8. यह है कि श्रीमति राजरानी यादव द्वारा जिला कलेक्टर स0मा0 को दिनांक 28.5.2021 को जरिये ईमेल प्रेषित ... की मिली भगत के भू–माफिया अजीत सिंह शेखावत द्वारा अवैध ... लाकर भूमि अवेध लाभ कमाने व शराब ठेका कृषि भूमि पर ... परिवाद मय संलग्नक की प्र0प्रति तथा इस परिवाद के संबंध में नियुक्त ... अधिकारी के आदेश ... जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट ... की गयी कार्यवाही की ... की प्र0प्रति। 9. यह है कि जिला कलेक्टर स0मा0 के कार्यालय पत्रांक प.12/राजस्व/12/6349 दिनांक 30.11.2017 की प्र0प्रति तथा उक्त पत्रांक 6349 दिनांक 30.11.2017 के संबंध मे तहसीलदार खण्डार से प्राप्त कार्यवाही रिपोर्ट की प्र0प्रति। 10. यह है कि मूल ख0न0 544 के मिन नये नम्बर 819/544,820/544, 853/544, 823/ 544, वगै0 की वि0स0 2074 से 77 एवं 2078 से 2081 की खाता/जमाबन्दी की प्र0प्रति मय पडत सरकार/पडत पटवार की प्रमाणित प्रति तथा नामा0 संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:17:16 IST
Reason: SelfAttested

467,471,698,699, 1469, 1453,1441 ग्राम दोलतपुरा की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर तथा तहसीलदार खण्डार/प्रभारी अधि0 भू.अभि./स्थापना/राजस्व/पंजीयन अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर व तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक एफ.2(206)/सूकाअ/2021/2734 दिनांक 1.2.2022 एवं भू.अ./22/122 दिनांक 14.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि बिन्दु संख्या 4,5,10 की सूचना (कुल 27 पृष्ठो की) तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 491 दिनांक 14.2.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। प्रभारी अधिकारी भू.अ. द्वारा बिन्दु संख्या 1 की पूर्ण एवं बिन्दु संख्या 10 की आंशिक सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक प.14/7/3/सूकाअ/भू.अ./ 2021/03 दिनांक 3.1.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी पंजीयन अनुभाग के पत्रांक 2611 दिनांक 8.11.2021 द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि तहसीलदार खण्डार से जॉच रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है किन्तु तहसीलदार खण्डार से जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलान्ट को जरिये पत्रांक पंजीयन/2021/3034 दिनांक 13.12.2021 से जॉच रिपोर्ट भिजवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 3 पर अंकित श्रीमति राजरानी द्वारा प्रेषित परिवाद दिनांक 27.5.2021 जिला कार्यालय की आवक शाखा में प्राप्त नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही होने के कारण जरिये पत्रांक 1921 दिनांक 25.10.2021 से आवेदक को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। बिन्दु संख्या 6,8,9 की सूचना के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के पत्रांक 4507 दिनांक 18.11.2021 से अपीलान्ट को 32/–रू जमा करवाने हेतु लिखा गया था पुनः जरिये पत्रांक 1192 दिनांक 2.12.2021 से अपीलान्ट को निःशुल्क सूचना भिजवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 7 की सूचना (कुल 39 पृष्ठो की) जरिये पत्रांक 1319 दिनांक 25.1.2022 से अपीलान्ट को रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 14.10.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2,3,4,5,6,7,8,9,10, की सूचना अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब के अनुसार प्रभारी अधिकारी, संस्थापन,पंजीयन, पत्र आवक शाखा,राजस्व अनुभाग एवं तहसीलदार खण्डार, द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। जहॉ तक बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी जॉच रिपोर्ट का प्रश्न है तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर द्वारा अपील संख्या 100142/2019 उनवानी प्रेमचन्द पालीवाल बनाम जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, निर्णय दिनांक 10.7.2019 एवं अपील संख्या सीआईसी/एसएमडीएच/2021/100508 उनवानी हरिकेश सैनी बनाम अति0जिला कलेक्टर स0मा0 निर्णय दिनांक 22.10.2021 मे किसी कार्मिक के विरूद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही नियोक्ता और कार्मिक के बीच का मामला है अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में व्यापक लोकहित प्रकट नही किया गया है इसलिए ऐसी सूचनाऐ अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत देय नही है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:17:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर